निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 555 / 2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामनारायण पुत्र काना, जाति जाट, निवासी ग्राम बस्सी झाझडा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभर, जिला जयपुर।
2. दिनेश कुमार पुत्र गंगाराम
3. महेश कुमार पुत्र गंगाराम
4. सुमन पुत्री श्रवण
5. सुरेश पुत्र श्रवण
6. सुशीला पुत्री श्रवण
7. सीमा पुत्री श्रवण
8. सोनी पत्नी श्रवण
9. सुरज्ञान पुत्र बालू
10. गंगाराम पुत्र भैरू
11. जगदीश पुत्र लालाराम
12. नानूराम पुत्र लालाराम
13. भगवान पुत्र लालाराम
14. तेजाराम पुत्र रामदेव
15. बुद्धाराम पुत्र बालू
16. मंगला पुत्र बालू
17. मंजू देवी पत्नी गणेशराम
18. राकेश पुत्र रणजीत
19. रामेश्वर पुत्र भैरू
20. रामसहाय पुत्र भैरू
21. लाडा देवी पत्नी रणजीत
22. सन्नू देवी उर्फ अनिता पुत्री रणजीत

समस्त जाति जाट, निवासी बस्सी झाझडा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

मुख्य अप्रार्थीगण

23. बाबूलाल पुत्र लादू
24. रामगोपाल पुत्र लादू
25. विजय सिंह पुत्र लादू
26. लादूराम पुत्र काना

समस्त जाति जाट, निवासी बस्सी झाझडा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी सांभर, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 17 / 2022 नया 111 / 2022 ब–उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम दिनेश कुमार व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री रामकिशन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 से 9 की ओर से।

निर्णय दिनांक 09.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी सांभर के समक्ष प्रकरण संख्या 17/2022 नया 111/2022 ब–उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम दिनेश कुमार व अन्य विचाराधीन है को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। **उपखण्ड अधिकारी सांभर, जिला जयपुर** से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई जो प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 4 से 9 की ओर से अभिभाषक श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त विचाराधीन प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 303/2025 प्रस्तुत किया गया था। जिसका माननीय न्यायालय ने निस्तारण करते हुये प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जयपुर के यहां सुनवाई हेतु नियत करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उनका स्थानान्तररण हो चुका है तथा प्रार्थी को सांभरलेक आने जाने में काफी असुविधा रहती है, इस कारण उक्त प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के यहां सुनवाई हेतु नियत किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि से संबंधित अन्य दो प्रकरण भी उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण धारा–132 व 136 दुरूस्ती का है जबकि उपखण्ड अधिकारी जबकि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण विभाजन के है। जबकि सर्वप्रथम धारा–132 व 136 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने के पश्चात ही भूमि का तकास्मा किया जा सकता है। इस कारण उक्त प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नियत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है, प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। यदि उक्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी जोबनेर द्वारा विभाजन के वाद में निर्णय पारित कर दिया जायेगा तो उक्त प्रार्थना पत्र का पेश करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थी अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थित में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।
5. अप्रार्थी संख्या 4 से 9 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का समर्थन करते हुये प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना को स्वीकार किये जाकर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में विचाराधीन प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी जोबनेर में स्थानान्तरण किये जाने बाबत अपनी मौखिक सहमति प्रस्तुत की।

जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित किये कथनो से हम सहमत है तथा अप्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक ने दौराने बहस उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में विचाराधीन प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी जोबनेर में स्थानान्तरण करने बाबत अपनी सहमति प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 17/2022 नया 111/2022 ब–उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम दिनेश कुमार व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर में मुन्तकिल किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर